



राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर
राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर राज.

क्रमांक : एफ. 131(5)निअमावि/भवन निर्माण/2013-14/

दिनांक : जनवरी, 2015

-: स्वीकृति :-

शिक्षा संकुल परिसर स्थित मदरसा बोर्ड भवन के विस्तार (द्वितीय एवं तृतीय तल निर्माण) के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग के तखमीने में उल्लिखित कुल अनुमानित राशि रूपये 406.12 लाख की सहमति वित्त (व्यय-2) विभाग की सहमति संख्या 161501436 दिनांक 18.12.2015 के अध्यक्षीन वित्तीय वर्ष 2015-16 में लेखा शीर्ष 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिषद, 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, 800-अन्य व्यय, (01)-निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से, (03)-विभागीय भवन निर्माण-17 वृद्ध निर्माण कार्य (आयोजना व्यय) में प्रावधित राशि में से राशि रूपये 30.00 लाख (अक्षर रूपये तीस लाख मात्र) कार्यकारी विभाग अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, जयपुर (राज0) को निर्धारित सीमा तक व्यय करने के आहरण एवं वितरण करने के अधिकार दिये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161501436 दिनांक 18.12.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(विपिन चन्द्र शर्मा)

अति0 मुख्य सचिव

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

दिनांक 27 जनवरी, 2015

क्रमांक : एफ. 131(5)निअमावि/भवन निर्माण/2013-14/884.94

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (बजट अनुभाग) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को बजट ऑपरेट करने के आदेश जारी कराने हेतु वित्त विभाग की आई.डी. की छाया प्रति सहित प्रेषित है।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को आई. डी. संख्या एफ.3928/एसीएसएमए/15 दिनांक 11.01.2016 के क्रम में।
4. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड, जयपुर (राज.) को भेजकर लेख है कि आहरण एवं वितरण अधिकार की सीमा तक नियमानुसार राशि आहरित करते हुये विभागीय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करें।
8. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, भवन निर्माण/आयोजना अनुभाग/कार्यालय हाजा
11. सूचना सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शकुन्तला सिंह)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव